	(3) ग्राम परिषद के गठन के लिए चुनाव इस प्रकार पूरे किए जाएँगे:– (क) उप धारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने से पूर्व; अथवा (ख) इसके विघटन की तारीख से छह माह की अवधि समाप्त होने से पूर्व बशर्ते कि विघटित ग्राम पंचायत की पदावधि का शेष भाग जिसे जारी रखा जाना है, की अवधि छह माह से कम है, ऐसी पदावधि के शेष भाग के लिए ग्राम परिषद को जारी रखे जाने के लिए इस उप धारा के तहत चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं होगी । (4) किसी ग्राम परिषद की अवधि समाप्त होने से पूर्व विघटित होने पर गठित ग्राम परिषद केवल पदावधि के शेष भाग के लिए बनी रहेगी जिस अवधि के लिए उप धारा (1) के तहत विघटित ग्राम परिषद, यदि विघटित नहीं होती और बनी रहती ।	
	18. (1) ग्राम परिषद की पहली बैठक समाप्त होने के तुरन्त बाद, उसका प्रत्येक सदस्य, जिसमें फर्स्ट कैप्टन और सैकेंड कैप्टन भी शामिल है, प्रथम अनुसूची में दिए गए फार्म में सहायक आयुक्त के समक्ष पद की शपथ लेंगे । (2) जो व्यक्ति ऐसे शपथ ग्रहण नहीं करता है वह मत नहीं दे सकेगा या बैठक के किसी कार्यवाही में भाग नहीं ले सकेगा और न ही वह ग्राम परिषद द्वारा गठित किसी समिति के सदस्य के रूप में शामिल हो सकेगा ।	
	19. (1) ग्राम परिषद का कोई सदस्य उस प्रभाव का लिखित नोटिस फर्स्ट कैप्टन को देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है और ऐसे इस्तीफा को फर्स्ट कैप्टन द्वारा इसके प्राप्त करने की तारीख से स्वीकृत करने से प्रभावी माना जाएगा । (2) सेकेंड कैप्टन लिखित में फर्स्ट कैप्टन को नोटिस देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है, लेकिन ग्राम परिषद जब तक इसे स्वीकृत नहीं कर देती इसे प्रभावी नहीं माना जाएगा । (3) फर्स्ट कैप्टन सहायक आयुक्त को लिखित सूचना देकर अपना इस्तीफा दे सकता है लेकिन इसे तब तक प्रभावी नहीं माना जाएगा जब तक वह इसे स्वीकार नहीं कर लेता ।	पद से इस्तीफा
	20. (1) ग्राम परिषद का कोई सदस्य निर्धारित तरीके से लिखित सूचना देकर फर्स्ट कैप्टन के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तावित कर सकता है ।	फर्स्ट कैप्टन के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव